न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 256 / 2016

1 जगदीश
2 धर्मवीर पुत्रगण श्रीराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मृतक गज्जुराम पुत्र माड़िया जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1/1 बसन्ती स्त्री गज्जुराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 सजना पुत्री गज्जुराम स्त्री महीपत जाति जाट निवासी हंसावास तहसील बाढ़डा जिला भीवानी हरियाणा।
1/3 रोशनी पुत्री गज्जुराम स्त्री सत्यवीर जाति जाट निवासी हंसावास तहसील बाठड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
1/4 हवासिंह
1/5 सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र पुत्रगण गज्जुराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/6 बिमला स्त्री महिपाल जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/7 मोनिका पुत्री
1/8 मोहित पुत्र स्व. महिपाल जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/9 सुशीला स्त्री सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/10 राहुल आयु 14 साल पुत्र स्व. सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नाबालिक जरिये संरक्षक माता सुशीला स्त्री सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2 राजपाल पुत्र बीरबल
3 सतवीर पुत्र बीरबल
4 सन्तोष कुमार पुत्र बीरबल
5 बिमला स्त्री रामसिंह
6 पवन कुमार पुत्र रामसिंह
7 नरेश कुमार
8 सदाकौर पुत्र बजरंगलाल
9 प्रदीप कुमार पुत्र बजरंगलाल
10 गौरव कुमार पुत्र बजरंगलाल
11 अशोक पुत्र श्रीराम
समस्त जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 पप्तु आयु 15 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये माता बाला स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14 बाला स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 ओमपति
16 रोशनी
17 राजवन्ती
18 सुमित्रा पुत्रियां श्रीराम समस्त जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
20 नायब तहसीलदार सूरजगढ़ उप तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
22 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित
08.06.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा
उनवानी गज्जुराम बनाम राजपाल वगै. मु.नं. 202/2014 दावा
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 257/2016

1 जगदीश
2 धर्मवीर पुत्रगण श्रीराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 मृतक गज्जुराम पुत्र माड़िया जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1/1 बसन्ती स्त्री गज्जुराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 सजना पुत्री गज्जुराम स्त्री महीपत जाति जाट निवासी हंसावास तहसील बाढ़डा जिला भीवानी हरियाणा।
1/3 रोशनी पुत्री गज्जुराम स्त्री सत्यवीर जाति जाट निवासी हंसावास तहसील बाठड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
1/4 हवासिंह
1/5 सुन्दर उर्फ सुरेन्द्र पुत्रगण गज्जुराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/6 बिमला स्त्री महिपाल जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/7 मोनिका पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/8 मोहित पुत्र स्व. महिपाल जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/9 सुशीला स्त्री सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/10 राहुल आयु 14 साल पुत्र स्व. सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नाबालिक जरिये संरक्षक माता सुशीला स्त्री सुरेश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 राजपाल पुत्र बीरबल
3 सतवीर पुत्र बीरबल
4 सन्तोष कुमार पुत्र बीरबल
5 बिमला स्त्री रामसिंह
6 पवन कुमार पुत्र रामसिंह
7 नरेश कुमार
8 सदाकौर पुत्र बजरंगलाल
9 प्रदीप कुमार पुत्र बजरंगलाल
10 गौरव कुमार पुत्र बजरंगलाल
11 अशोक पुत्र श्रीराम
समस्त जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 विक्रम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 पप्तु आयु 15 साल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये माता बाला स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
14 बाला स्त्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 ओमपति
16 रोशनी
17 राजवन्ती
18 सुमित्रा पुत्रियां श्रीराम समस्त जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
19 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 नायब तहसीलदार सूरजगढ़ उप तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
22 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 06.07.2016
बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी
गज्जुराम बनाम राजपाल वगै. मु.नं. 202/2014 दावा बाबत
विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलान्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2014 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2016 व 06.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 4.68 है., खसरा नम्बर 117 रकबा 5.75 है., खसरा नम्बर 275 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 329 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 330 रकबा 2.38 है., खसरा नम्बर 348 रकबा 0.50 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.34 है. सरहद राजस्व ग्राम महपलवास तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित है तथा ग्राम महपलवास की सरहद में ही जमीन हाल खसरा नम्बर 381

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 1.78 है., खसरा नम्बर 386 रकबा 2.86 है., खसरा नम्बर 391 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 442 रकबा 2.25 है. कुल किता 4 कुल रकबा 8.10 है. स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत एक वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 06.07.2016 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील संख्या 256/2016 धारा 5 के आवेदन के साथ व अपील संख्या 257/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 08.06.2016 पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। उक्त प्रकरण में पत्रावली दिनांक 08.03.2016 को तलबी प्रतिवादीगण में नियत थी। दिनांक 08.03.2016 को पत्रावली में सिफ सील मोहन लगाकर आगामी पेशी दिनांक 10.06.2016 नियत की। विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.06. 2016 नियत पेशी से पूर्व ही दिनांक 08.06.2016 को अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये राजस्व लोक अदालत कैम्प महपलवास में पत्रावली को तलब कर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट गज्जुराम को छोड़कर अन्य अधिकतर रेस्पोडेन्ट को बिना सुने निर्णय व प्राथमिक डिक्री जैर बहस राजस्व लोक अदालत कैम्प महपलवास में पारित की है। जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्ट नम्बर 2 धर्मवीर की उक्त प्रकरण में तामील नहीं हुई। तथा अपीलान्ट जगदीश को जवाब देही का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट जगदीश ने विचारण न्यायालय के समक्ष इसी जमीन के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उनवानी जगदीश बनाम गज्जुराम मु.नं. 326/2013 पेश किया। जिसको विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट जगदीश को बिना सुने नियत पेशी दिनांक 08.06.2016 को तलब कर दिनांक 08.06.2016 को लिखा है कि दावा संख्या 326/2013 में वादग्रस्त भूमि व पक्षकारान के मध्य पहले से उनवानी गज्जुराम बनाम राजपाल विचाराधीन है जिसको प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया है इसलिये मु. उनवानी गज्जुराम बनाम राजपाल मु.नं. 202/2014 के निर्णय तक मु. उनवानी जगदीश बनाम गज्जुराम में दिनांक 06.07.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प देवरोड़ में मु. उनवानी जगदीश बनाम गज्जुराम को यह कहते हुये खारिज कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दिया कि इसी जमीन के संबंध में विचाराधीन मुकदमा गज्जुराम बनाम राजपाल वगै. अंतिम रूप से डिक्री किया जा चुका है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री में यह लिखा है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से के अनुसार एवं कब्जे काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुये पक्षकारान के मध्य भौतिक बंटवारा करें एवं भौतिक बंटवारा बाबत 500 रूपये की कोष्ट पर तहसीलदार सुरजगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया था। प्राथमिक डिक्री में पारित निर्देशों के मुताबिक दिनांक 21.06.2016 को मौके पर पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव बनाये उसमें बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कब्जा काश्त के मुताबिक सभी पक्षकारों के मध्य जमीन का विभाजन नहीं किया तथा विभाजन प्रस्ताव पर सिफ गज्जुराम का अंगूठा निशानी है बाकी किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी विभाजन प्रस्ताव पर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार सूरजगढ़ के हस्ताक्षर भी नहीं है। प्रकरण में सिर्फ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की जमीन का ही विभाजन किया गया है। शेष सहखातेदारों की जमीन का विभाजन नहीं किया गया। उक्त विभाजन कानूनी रूप से सही नहीं है। उपरोक्त कारण से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.07.2016 खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव पेश हुये उसमें खसरा नम्बर 329/2, खसरा नम्बर 330 में आने के लिये विभाजन प्रस्ताव के नक्शा में रास्ता काटा गया है। जो बिना पक्षकारों की सहमति के खसरा नम्बर 329 के बीचों बीच गलत रूप से दर्शित किया है। जबकि दावा गज्जुराम ने पेश किया है। गज्जुराम खसरा नम्बर 329 में बीचों बीच रास्ते की बजाय खसरा नम्बर 329 के पूवी सीमा के सहारे सहारे खसरा नम्बर 330 में आने जाने के लिये रास्ते के लिये सहमत हुआ है। विभाजन प्रस्ताव में गज्जुराम को बिना भौतिक कब्जा काश्त के खसरा नम्बर 348/1 तादादी 0.08 है. जमीन की है। जबकि खसरा नम्बर 348/1 जहां विभाजन नक्शा में दर्शित किया गया है वहां उक्त गज्जुराम का कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय व गलत विभाजन प्रस्ताव पर एकपक्षीय व अंतिम डिक्री जैर बहस पारित करने में कानूनी गलती की है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 06.07.2016 की पालना राजस्व रिकार्ड में होने के बाद विवादित जमीन के खसरा नम्बर 117/1, 330/1, 348/1, 381/2 तथा 381/1, 386, 391, 442, 112, 113, 114 एवं 115, 116, 117/3, 275, 329/1, 329/3, 330/2,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

348/2, 117/2, 321/2, 117/1 बनें। खसरा नम्बर 329 के पूर्व दिशा के सहारे सहारे बाबत रेस्पोडेन्ट गज्जुराम की शपथ पत्र पर लिखित में सहमति रही है। जानकारी से अंदर मियाद अपील संख्या 256/2016 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमीन हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 4.68 है., खसरा नम्बर 117 रकबा 5.75 है., खसरा नम्बर 275 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 329 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 330 रकबा 2.38 है., खसरा नम्बर 348 रकबा 0.50 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.34 है. सरहद राजस्व ग्राम महपलवास तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित है तथा ग्राम महपलवास की सरहद में ही जमीन हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 1.78 है., खसरा नम्बर 386 रकबा 2.86 है., खसरा नम्बर 391 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 442 रकबा 2.25 है. कुल किता 4 कुल रकबा 8.10 है. स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत एक वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 06.07.2016 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट धर्मवीर व जगदीश प्रतिवादी संख्या 10 व 12 के रूप में दर्ज रहे है। विचारण न्यायालय में कुल 19 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। इसमें केवल प्रतिवादी संख्या 10 व 12 ने विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर उपस्थित प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है जमीन हाल खसरा नम्बर 116 रकबा 4.68 है., खसरा नम्बर 117 रकबा 5.75 है., खसरा नम्बर 275 रकबा 1.26 है., खसरा नम्बर 329 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 330 रकबा 2.38 है., खसरा नम्बर 348 रकबा 0.50 है. कुल किता 6 कुल रकबा 15.34 है. सरहद राजस्व ग्राम महपलवास तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित है तथा ग्राम महपलवास की सरहद में ही जमीन हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 1.78 है., खसरा नम्बर 386 रकबा 2.86 है., खसरा नम्बर 391 रकबा 1.21 है., खसरा नम्बर 442 रकबा 2.25 है. कुल किता 4 कुल रकबा 8.10 है. स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत एक वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जो विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 06.07.2016 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के अनुसार समस्त प्रतिवादीगण की सम्यक तामील किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में उभयपक्ष को सूचित किये बिना तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखकर विचाराधीन अंतिम डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर